भी, उनको भी एक ऐसा एटमासफीबर त्रिष्ट करना होगा जिस में इन सब बातों को उचित महस्व मिले। न सब संस्वाओं को भी देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं न घटें।

यह एक ऐसा सवाल है जिस को राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठ कर इमको
लेना चाहिये था और विचार करना चाहिये
था। लेकिन मुझे दुख है कि जिन बहन ने इस
प्रस्ताव को उपस्थित किया है, ऐसा लगता
है कि वह भी दलगत राजनीति में पड़ गई हैं
और इस में कुछ राजनीति की बू भी आती
है। विपक्ष के जो सदस्य या सदस्यायें बोली
हैं उन्होंने ऐसा आभास दिया है जैसे जब से
श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री हुई हैं
तभी से ये नार श्रत्याचार सो रहे हैं। उन्होंने
एलामिंग शब्द का प्रयोग किया है। इसका
श्रयं तो यह निकलता है कि जो रेप एलामिंग
नही हैं, जो नार्मल रेप नही हैं, वह रेप ही
नही होगा।

All rapes are alarming, irrespective of the status of the woman raped. Under the garb of the word "alarming" बहुत सी ऐसी रोजाना घटनाए हो जाती हैं जिन का नोग नोटिन ही नहीं नेते हैं। इस बास्ते यह जो एलामिंग शब्द है इसको आपको हटा देना पड़ेगा क्योंकि आर रेप्स आर एलामिंग। जो महिला 13-14 साल की है और धनी परिवार की है उसकें साथ अगर दुव्यं वहार होगा तो उसको क्या आप रेप नहीं कहेंगे। मैं नहीं। चाहती कि इस में वर्गी करण किया जाए।

इन्हों । यह भी लिखा है कि हायर्ड एण्टी सोशल एलीमेंट्स

MR CHAIRMAN: We will now have to take up Private Members' Bills. So, you can continue your speech when this Resolution is taken up the next time.

श्रीमती कृष्ण साहो : अगर अब समय नहीं है तो मैं दूसरे सेशन में बोल लूंगी क्योंकि मुझे तो अभी बहुत कहना है, थोड़ा समय दया जाय। MR. CHAIRMAN: Private Members' business starts.

अं मतो कृष्णा साही: तो दूसरे सेशन के लिये इसको रख दें। मुझे तब बोलने का मौका दिया जायेगा?

MR. CHAIRMAN: Yes.

15.31 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up Private Members' business.

INDIAN MEDICINE CENTRAL
COUNCIL (Amendment) BILL*
(Amendment of Section 17 and Second
Schedule)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1979."

The Motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 75 and 164)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE: I introduce the Bill.

Extraordinary, Part II, section 2, dated

^{*}Published in Gazette of India 28-3-1980.